



UPBJ010054222018

न्यायालय Spl. Judge (E.C.Act), Bijnor

पीठासीन अधिकारी– (Shri Honey Goel), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP02408

विशेष सत्रवाद संख्या:–573/2018

सरकार

बनाम

श्रीमति खुशनुदा

धारा:– 138 (1)बी विद्युत अधिनियम

थाना– कोतवाली देहात, जिला बिजनौर

मु0 अ0 संख्या:–38/2018

आरोप

मैं, हनी गोयल, विशेष न्यायाधीश (ई0 सी0 एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, बिजनौर, आप अभियुक्ता श्रीमति खुशनुदा को निम्नवत् आरोपित करता हूं।

प्रथमतः

यह कि दिनांक 03-02-2018 को, बहद ग्राम हसनअलीपुर हीरा थाना कोतवाली देहात, जिला बिजनौर के क्षेत्रान्तर्गत पूर्व में बकाया देय पर काटे गये घरेलू विद्युत कनेक्शनो की चैकिंग करने पर पाया गया कि आप अपने नाम स्वीकृत घरेलू संयोजन संख्या 233/4317/081301 स्वीकृत भार 02 किलोवाट, जो पूर्व में बकाया बिल पर दिनांक 01-02-2018 को विद्युत बकाया 18,525/-रुपये पर अस्थाई रुप से विच्छेदित कर दिया गया था, को चैकिंग के समय आप बिना बकाया जमा करे अवैध रुप से पास की एल0टी0 लाईन से जोड़कर विद्युत चोरी करके अवैध रुप से विद्युत का प्रयोग करते हुये पाये गये। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया है, जो धारा **138(1) बी** विद्युत अधिनियम के अधीन दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

(हनी गोयल)

दिनांक– 24-02-2022

विशेष न्यायाधीश, (ई0 सी0 एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, बिजनौर।

आरोप अभियुक्ता को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया और विचारण की याचना की।

(हनी गोयल)

दिनांक– 24-02-2022

विशेष न्यायाधीश, (ई0 सी0 एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, बिजनौर।